भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं 3264
जिसका उत्तर शुक्रवार, 17 दिसम्बर, 2021 को दिया जाना है

सरकारी वकील

3264. श्री प्रतापराव जाधव :
श्री सुधीर गुप्ता :
श्री संजय सदाशिवराव मांडलिक :
श्री बिद्युत बरन महतो :
श्री श्रीरंग आप्पा बारणे :

क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा लोगों को कानूनी सहायता प्रदान करने हेतु सरकारी वकील की नियुक्ति के लिए निर्धारित प्रक्रिया क्या है ;

(ख) वर्तमान में देश में सरकारी वकीलों की संख्या कितनी है ;

(ग) क्या सरकारी वकीलों के पद रिक्त हैं या और अधिक सरकारी वकीलों को नियुक्त करने की आवश्यकता है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(घ) क्या सरकार का विचार सभी को न्याय दिलाने के लिए प्रत्येक जिले या तहसील में निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करने के साथ-साथ आपसी सहमति से मामलों को सुलझाने के लिए एक केंद्र स्थापित करने का है ; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्री
(श्री किरेन रीजीजू)

(क) : राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (निःशुल्क और सक्षम विधिक सेवाएं) विनियम, 2010, जनसंख्या के पात्र वर्गों को विधिक सहायता प्रदान करने के लिए पैनल अधिवक्ताओं के पैनलीकरण हेतु मानदंड और प्रक्रिया का उपबंध करते हैं । पैनल अधिवक्ताओं का चयन [उच्चतम न्यायालय के लिए] भारत के महान्यायवादी, [उच्च न्यायालय के लिए] महाधिवक्ता, [जिला और तालुक स्तर पर] जिला अटर्नी या सरकारी अधिवक्ता तथा संस्थान की मानीटरी और मार्गदर्शी समिति के परामर्श से विधिक सेवा संस्था के कार्यकारी अध्यक्ष या अध्यक्ष द्वारा किया जाता है । तथापि, विधिक सेवा संस्था के कार्यकारी अध्यक्ष या अध्यक्ष स्वप्रेरणा से भी विधि व्यवसायी को पैनलित कर सकते हैं ।

(ख) : सम्पूर्ण देश में उन लोगों को विधिक सहायता प्रदान करने के लिए जो ऐसी सहायता प्राप्त करने के पात्र हैं, राज्य और जिला स्तर पर विधिक सेवा संस्थाओं में 50,168 अधिवक्ताओं की कुल संख्या को पैनलित किया गया है ।

(ग) : विधिक सहायता प्रदान करने के लिए पैनल अधिवक्ताओं की नियुक्ति हेतु पदों की कोई विनिर्दिष्ट संख्या नहीं है क्योंकि पैनलित अधिवक्ता विधिक सेवा प्राधिकारियों की नियमित पंजी पर नहीं होते । पैनलित अधिवक्ताओं की संख्या विधिक सहायता मामलों की संख्या, विधिक सेवा क्रियाकलापों तथा अन्य समनुषंगी कार्यों पर निर्भर करती है । अब तक, पैनलित अधिवक्ताओं की अपेक्षित संख्या विधिक सेवा संस्थाओं के पास पहले से ही उपलब्ध है ।

(घ) और (ङ) : विधिक सेवा संस्थाओं ने (लम्बित के साथ-साथ मुकदमापूर्व अवस्था वाले) विवादों के पारस्परिक समझौते के लिए मध्यकता, केन्द्र स्थापित किए हैं । मध्यकता विवादों के समझौते के लिए एक लोकप्रिय और उपयोगी पद्धति के रूप में उभरा है । 31.10.2021 तक, देशभर में 572 मध्यकता केन्द्र स्थापित किए गए हैं । वर्ष 2020-21 के दौरान, 28,000 से अधिक मामले सौहार्दपूर्ण ढंग से मध्यकता के द्वारा सुलझाए गए हैं । 2021-22 के दौरान, 21,000 से अधिक मामले अक्तूबर, 2021 तक सुलझाए जा चुके हैं ।

****